

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
अनु सचिव एवं जन सूचना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांग/जन सूचना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विकलांग जन विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2014

विषय:- श्री आनन्धी विश्वनाथन जनपद-बंगलुरु, कर्नाटक को सूचना के अधिकार
अधिनियम-2005 के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से सूचना उपलब्ध कराने के संबंध
में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री आनन्धी विश्वनाथन, पालिसी एनालिस्ट, सेन्टर फार इन्टरनेट
एण्ड सोसाइटी, नं0-194 ।। सी क्रास डोमलर ।। स्टेज, बंगलुरु द्वारा मांगी जा रही
वांछित निदेशक, विकलांग जन विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से संबंधित होने के कारण
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 (3) के अन्तर्गत आपको इस आशय से
अन्तरित किया जा रहा है कि कृपया आवेदन पत्र में विभाग से संबंधित वांछित सूचना
प्रार्थी को सीधे प्रेषित करते हुए उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(राधे कृष्ण)
अनु सचिव।

रजिस्टर्ड

संख्या-36सू0अ0/65-2-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि श्री आनन्धी विश्वनाथन, पालिसी एनालिस्ट, सेन्टर फार इन्टरनेट एण्ड
सोसाइटी, नं0-194 ।। सी क्रास डोमलर ।। स्टेज, बंगलुरु को इस आशय से प्रेषित कि
आपका उपरोक्त संदर्भित पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-6 (3) के
अन्तर्गत निदेशक, जनसूचना अधिकारी, लखनऊ को अन्तरित कर दिया गया है। अतः
वांछित सूचना निदेशक, विकलांग जन विकास विभाग से प्राप्त करें।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
अनु सचिव।